2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1707-तीन/2009 - विरूद्ध आदेश दिनांक 10-9-09 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 249/2007-08 अपील

1- शिया उर्फ रतनलाल पुत्र दयाराम धाकड़
2- मोरे पुत्र दयाराम धाकड़
3- महिला बादामी पुत्री दयाराम धाकड़
4- महिला पारवती पत्नि स्व. दयाराम धाकड़
निवासीगण जयरामपुरा तहसील कैलारस
जिला मुरैना मध्य प्रदेश
5- छोटे पुत्र देवचंद
निवासी ग्राम हटीपुरा तहसील कैलारस जिला मुरैना। ----आवेदकगण

विरूद्ध

राजाराम पुत्र लल्लू धाकड़ निवासी जयरामपुरा
तहसील कैलारस जिला मुरैना मध्य प्रदेश ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)

आ दे श

(आज दिनांक 01 - 08-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 249/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-9-2009 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अंनावेदक ने म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 131 के अंतर्गत तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम जयरामपुरा में उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 144 है जिसमें आने जाने के लिये सर्वे क्रमांक 140 की मेढ़ पर से रूढ़िगत रास्ता है जिसका पूर्व से वह उपयोग करता आ रहा है किन्तु इस रास्ते को आवेदकगण ने हॉक जोतकर बंद कर दिया है इसलिये रास्ता खुलवाया जावे। इस आवेदन

पर तहसीलदार कैलारस ने प्रकरण कमांक 1/2007-08 अ-13 पॅजीबद्ध किया गया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 5-2-2008 पारित करके भूमि सर्वे कमांक 100, 138, 233 एंव 140 की मेढ़ पर से रास्ता कायम किया गया। इस आदेश के विरूद्ध के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने प्रकरण कमांक 15/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-2008 से अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 249/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-9-2009 अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदक के म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 131 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर से ग्राम जयरामपुरा की भूमि सर्वे कमांक 100, 138, 233 एंव 140 की मेढ़ पर से रास्ता कायम किया गया है किन्तु रास्ता कायमी के आदेश देने के पूर्व तहसील न्यायालय में आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई है। इस्तहार का प्रकाशन भी नहीं किया गया है केवल पटवारी रिपोर्ट पर से रास्ता कायम करने में त्रृटि की गई है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने एंव अपर आयुक्त ने ध्यान नहीं दिया है। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जॉय एंव आवेदकगण की सुनवाई के लिये प्रकरण वापिस किया जाय।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम जयरामपुरा में आवेदक की की भूमि सर्वे कमांक 144 है जिसमें आने जाने के लिये सर्वे कमांक 140 की मेढ़ पर से रूढ़िगत रास्ता था जिसका हमेशा से कृषक उपयोग करते रहे है किन्तु इस रास्ते को आवेदकगण ने हॉक जोतकर बंद कर दिया है इसलिये रास्ता खुलवाने की मांग रखी गई थी। पंचगणों के समक्ष मौका मुआयना हुआ है और मौके पर रूढ़िगत रास्ता पाया गया है जिसे ठीक ही

खुलवाया गया है जो संहिता की धारा 131 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही है , इसलिये निगरानी निरस्त की जावे।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने आदेश दिनांक 30-6-2008 पारित करते समय तहसीलदार कैलारस के प्रकरण कमांक 1/2006-07 अ 13 का परीक्षण किया , परीक्षण उपरांत इस प्रकार निष्कर्ष निकाला है :-

'' प्रकरण में संलग्न नक्शे से यह तो स्पष्ट है कि विवादित सर्वे नंबर जहां रास्ता अवरूद्ध हुआ हे उसका उल्लेख किया गया है इसके पश्चात् तहसीलदार द्वारा पटवारी मौजा से मौका स्थिति का जो नक्शा मंगाकर प्रकरण में संलग्न किया गया है उस नक्शे में पटवारी द्वारा लाल-स्याही से रास्ता को चिन्हित किया गया है तथा रास्ते के सर्वे कमांक 140 पर जहां अवरूद्ध किया गया है उसे भी चिन्हित किया गया है। अतः उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है क्योंकि विवादित रास्ता परंपरागत सुखाचार का होकर मार्ग के उपयोग में आता रहा है। ''

अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30-6-2008 में उक्तानुसार निर्णय लेकर आवेदकगण की अपील निरस्त की है जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 10-9-2009 पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हे जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं हैं

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 249/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-9-2009 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अत्री)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर